रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 860] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 4, 2012/वैशाख 14, 1934
No. 860] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 4, 2012/VAISAKHA 14, 1934

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 मई, 2012

का.आ. 1023(अ).— यद्यपि केन्द्र सरकार पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग मदों में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम 1987 (जिसे इसके बाद जेपीएम अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 के प्रावधानों के अधीन जारी दिनांक 17 जनवरी, 2012 (जिसे इसके पश्चात् प्रधान आदेश कहा जाएगा) के आदेश सं.सा.आ.88(ई) पटसन वर्ष 2011-12 के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में 100 प्रतिशत के लिए खाद्यान्न और चीनी के लिए आरक्षित है ।

तथा, यद्यपि जेपीएम अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधानों के अधीन केन्द्र सरकार, यदि यह राय रखती हो कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में अनिवार्य अथवा लाभप्रद हो, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को किन्हीं मदों अथवा मदों की श्रेणी के लिए आपूर्ति करने अथवा वितरण करने से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन निर्मित आदेश के प्रचालन से छूट दे सकती है ।

यद्यपि हरियाणा सरकार द्वारा गेंहू की खरीद के प्रारंभिक अनुमान 70 लाख टन के बजाय अब 82 लाख टन तक पहुंचने की सम्भावना है तथा इसलिए खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग ने सिफारिश की है कि आरएमएस 2012-13 के दौरान मध्यप्रदेश में गेंहू की खरीद के लिए एचडीपीई/पीपी बोरों की 24000 गांठों के उपयोग के लिए लिए तत्काल छूट दी जाए ।

तथा, यद्यपि केन्द्र सरकार ने पटसन आयुक्त, कोलकाता के परामर्श से रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2012-13 के लिए खाद्यान्न की पैकिंग के लिए बी.ट्विल पटसन बोरों की

मांग तथा तदनुरूपी आपूर्ति क्षमता और सरकारी खरीद एजेन्सियों को आपूर्ति के संबंध में पटसन उद्योग के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है ।

तथा, यद्यपि भारत सरकार ने विचार किया है कि अतिरिक्त मांग के कारण आरएमएस 2012-13 के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पैकिंग सामग्रियों की अनुमानित आवश्यकता में 2.35 लाख गांठ के प्रारम्भिक अनुमान की तुलना में 3.28 लाख गांठ तक वृद्धि हुई है ।

तथा, यद्यपि फसल का मौसम पूर्व सही अनुमान न लगाए जाने के कारण हरियाणा राज्य में पटसन बोरों की कमी के कारण हरियाणा सरकार द्वारा सामना की गई समस्याओ को देखते हुए,

अब इसलिए, केन्द्र सरकार का मत है कि अब जनहित में, और जेपीएम अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा करना आवश्यक अथवा लाभकारी है कि एतदद्द्वारा हरियाणा राज्य एजेंसी को मुख्य आदेश (और इस प्रकार पटसन के अलावा अन्य सामग्री में खाद्यानों की पैकेजिंग के लिए अनुमति देते हुए) के प्रचालन से, रबी विपणन मौसम 2012-13 के लिए 24,000 गांठ की कुल मात्रा तक छूट दी जाए । प्रस्तावित छूट चालू पटसन वर्ष के लिए ऐसी ऐजेंसी द्वारा की गई खाद्यानों की कुल खरीद के 20 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत होगी । यह इस शर्त के अध्यधीन है कि एचडीपीई/पीपी बोरों का उपयोग केवल अत्यावश्यकता की स्थिति में तथा चालू आरएमएस के अंत में किया जाएगा, हरियाणा सरकार द्वारा एचडीपीई और पटसन बोरों के अंत: शेष का ब्यौरा केन्द्र सरकार को दिया जाना होगा ।

यह छूट 30 जून, 2012 तक खरीदे गए खाद्यानों की पैकिंग के लिए वैध होगा ।

[फा. सं. 9/9/2012-पटसन]

सुजीत गुलाटी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 4th May, 2012

S.O. 1023(E).— Whereas the Central Government vide Order No. S.O.88(E) dated 17th January, 2012 (hereinafter referred to as the Principal Order) issued under the provision of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (hereinafter referred to as the JPM Act) reserved foodgrain and sugar for 100 percent packaging in jute packaging material for the jute year 2011-12.

And, whereas, under the provisions of Section 16(1) of the JPM Act, the Central Government, if it is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest,

may exempt any person or class of persons, supplying or distributing any commodity or class of commodities, from the operation of an order made under Section 3 of the Act.

Whereas the estimates of wheat procurement by Govt. of Haryana are now projected to reach 82 lakh tonnes instead of the initial projection of 70 lakh tonnes and therefore Department of Food & Public Distribution has recommended that immediate relaxation for use of 24000 bales of HDPE/PP Bags for the wheat procurement in Haryana during RMS 2012-13 may be granted.

And, whereas, the Central Government has reviewed the demand of B.Twill jute bags for packing foodgrains for Rabi Marketing Season (RMS) 2012-13 and the corresponding supply capacity and performance of jute industry in respect of supply to the Government procuremement agencies in consultation with Jute Commissioner, Kolkata.

And, whereas, the Government of India has considered that due to additional demand, the estimated requirement of the packing materials by the Govt. of Haryana for the RMS 2012-13 has increased from the initial indent of 2.35 lakh bales to 3.28 lakh bales.

And, whereas, in view of the problems faced by the Govt. of Haryana due to lack of correct pre-season estimation of crop resulting in shortage of supply of jute bags within the State of Haryana.

Now, therefore, the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, and in exercise of the powers under the provision of Section 16(1) of the JPM Act, hereby exempt the Haryana State Agency from the operation of the Principal Order (and thus allowing for packaging foodgrains in material other than jute) upto the extent of a total quantity of 24,000 bales for the Rabi Marketing Season 2012-13. The proposed relaxation would be within the limit of 20% of the total procurements of foodgrain made by such agency for the current jute year. It is subject to the condition that the HDPE/PP Bags would be used only incase of emergency and at the end of the current RMS, the closing balance of HDPE and Jute Bags would need to be furnished by the Govt. of Haryana to the Central Government..

The exemption would be valid for procurement and packing of foodgrain made upto 30th June, 2012.

[F. No. 9/9/2012-Jute]

SUJIT GULATI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.